न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील-प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 21/2016 **दायरा दिनांक : 04.01.2016**

उनवान

बृजमोहन आयु 62 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल, जाति राव, निवासी ग्राम बैंगनी, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– किशनलाल पुत्र श्री नाथूलाल, जाति मीणा (मृतक) :–
1/1– छोटीबाई पत्नी किशनलाल
1/2– परमानन्द पुत्र श्री किशनलाल
1/3– आनन्दीलाल पुत्र श्री किशनलाल
1/4– वीरभान पुत्र श्री किशनलाल
1/5– रामपाल पुत्र श्री किशनलाल
1/6– भूरया पुत्र श्री किशनलाल
जाति मीणा, निवासी ग्राम बैंगनी, तहसील बारां, जिला बारां
2– परमानन्द पुत्र श्री किशनलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बैंगनी, तहसील बारां, जिला बारां
3– हरिनारायण पुत्र श्री मल्ला, जाति राव, निवासी नाहरिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा (मृतक) :–
3/1– छीतरलाल पुत्र स्वर्गीय श्री हरिनारायण
3/2– कमलाबाई पत्नी स्वर्गीय श्री हरिनारायण
जाति राव, निवासी नाहरिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा
4– रघुनाथ पुत्र श्री मल्ला, जाति राव, निवासी नाहरिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा (मृतक) :–
4/1– गायत्री बेवा श्री रघुनाथ, जाति राव, निवासी नाहरिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा
4/2– जगदीश पुत्र श्री रघुनाथ, जाति राव, निवासी नाहरिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री अरविन्द सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित ।

निर्णय **दिनांक : 20.09.2023**

1 अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलेक्टर, बारां के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2001 प्रकरण संख्या 15/2000 से अप्रसन्न होकर पेश किया है।

2 वादग्रस्त आराजी ग्राम बैंगनी, तहसील बारां में प्रतिवादीगण के खाते की खसरा नम्बर 268 रकबा 0.72 हेक्टर कृषि भूमि है जिसका भू प्रबन्ध होने से पूर्व खसरा नम्बर 306 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा था तथा यह भूमि श्री हीरा व मल्ला पुत्रान उदा कोम राव के खातेदारी में दर्ज थी।

3 अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर वादीगण को खसरा नम्बर 268 रकबा 0.72 हेक्टर वाके ग्राम बैंगनी, तहसील बारां का खातेदार कृषक घोषित करते हैं किन्तु इस केस में सरकार को रजिस्ट्रेशन स्टाम्प की हानि होती है। अतः वादीगण वर्तमान दर से स्टाम्प ड्यूटी की राशि जमा करायेगे। प्रतिवादी 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें, न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें और वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दे, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई।

4 अपील में अपीलांट ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट व अपीलांट के काका जी मल्ला के खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अपीलांट के काका मल्ला के पुत्रगण रेस्पोडेंट नम्बर 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित कर रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 के पक्ष में दावा डिक्री कर कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में इजराय की पालना में नामान्तरकरण सं. 290 से उक्त आराजियात पर से अपीलांट व उसके काका जी का नाम हटाकर रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का नाम दर्ज कर दिया गया है, जो खिलाफ कानून व पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

5 अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं देकर अपने निर्णय में कानूनी त्रुटि की है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात का अपीलांट के पिता व अपीलांट के काका जी मल्ला ने कोई बेचान नहीं किया और ना ही उक्त आराजियात के विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया है। रेस्पोडेंट कम 1 व 2 जाति से मीणा है जो की अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं। जिनके खाते की आराजी का रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 के नाम धारा 42 के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहत कानूनी बाध्यता होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित कर त्रुटि की है।

6 रेस्पोडेंट कम 4 रघुनाथ का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए रेस्पोडेंट कम 4/1 व 4/2 उसके वारिसान को पक्षकार होने से अपील में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

7 वादग्रस्त आराजियात में अपीलांट का अपने 1/2 हिस्से पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस वर्ष रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजियात को हांकने गया तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई।

8 अतः अपील अपीलांट स्वीकर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2001 व नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 02.07.2002 निरस्त फरमाया जावे व राजस्व रेकार्ड से रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का नाम डिलीट कर अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 3 व 4 के वारिसान 4/1 व 4/2 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

9 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.10.2015 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

10 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

11 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

12 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा पूर्व में ही उपजिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 15/2000 बउनवानी किशनलाल बनाम बृजमोहन में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2001 से अप्रसन्न होकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील संख्या 511/2002 दायर दिनांक 09.08.2002 से प्रस्तुत की जा चुकी है। उक्त अपील में न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.10.2005 से निर्णय पारित करते हुए अपील अपीलांट खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2001 को यथावत रखा गया है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत पूर्व अपील संख्या 511/2002 व वर्तमान अपील संख्या 16/2021 में पक्षकार और विवाद्यक का विषय समान है और पूर्ववर्ती अपील को निर्णीत करते हुए अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में धारा 11 सी. पी. सी. पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

13 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/09/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा